

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 253] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 1973/आषाढ़ 15, 1895

No. 253] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 1973/ASADHA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 6th July 1973

S.O. 386(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792, dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	INR No. 1286	162.15 Metres	Films Divisions, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Film dealing with News and current events (General Release).	

1	2	3	4	5	6
2.	INR No. 1287A	221.89 Metres	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Film dealing with News and current events (General Release).	
3.	INR No. 1287	218.00 Metres	Do.	Do.	
4.	For Them	274.32 Metres	Do.	General Release 'Documentary'.	
5.	Desh Bhoomi Aap Ke Haath	243.81 Metres	Shri Promode Pande, Govt. of Uttar Pradesh.	General Release 'Educational'.	

[No. F. 28/4/73-FP App. 1808.]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जुलाई 1973

एस० ओ० 386(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1286	162.15 मीटर	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-20	भारत सरकार, समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (जनरल रिलीज)	
2	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1287-ए	221.89 मीटर	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-
3	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1287	218.00	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-
4	उनके लिए	274.32	-तथैव-	जनरल रिलीज "डाकुमेंट्री"	
5	देश की भूमि आप के हाथ	243.84 मीटर	श्री प्रमोद पांडे	उत्तर प्रदेश सरकार	जनरल रिलीज "शिक्षा संबंधी"

[सं० फा० 28/4/73-एफ०पी परिशिष्ट-1808]

S.O. 387 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry, of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULED

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	I.N.R. No. 1287 (Southern Edition)	294.00 Metres	Films Division, Government of India 24-Poddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events. (For release in Southern States i.e. Andhra Pradesh, Kerala, Mysore and Tamil Nadu.

[No. P. 28/4/73-FP App. 1809]

एस० ओ० 387 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के आदेश संख्या एस०ओ० 3792 तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1287 (दक्षिणी संस्करण)।	294.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	भारत सरकार,	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल दक्षिण प्रान्त आन्ध्र प्रदेश केरल, मैसूर, तमिल नाडू में प्रदर्शित करने के लिए)।

[संख्या फा० 28/4/73-एफ० पी० परिशिष्ट-1809]

S.O. 388(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 Dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	I.N.R. No. 1286 (Eastern Edition)	303.88 Metres	Films Division of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Government	Film dealing with news and current events (For release in Eastern States i.e. Assam, Bihar Nagaland, Orissa, West, Bengal, Manipur NEFA and Tripura).

[P. No. 28/4/73-FP App. 1810]

एस०ओ० 388(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म मलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1286 (पूर्वी संस्करण)।	303.88 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल पूर्वी प्रदेशों असम, बिहार, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नेफा और त्रिपुरा में प्रदर्शन के लिए)।

[संख्या फा० 28/4/73-एफ० पी० परिशिष्ट-1810]

S.O. 389(B).—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

- (1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).
- (2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act 1953 (Bombay Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	Mahitichitra No. 165	307.85 Metres	Director of Information Government of Gujarat, Gandhi Nagar.	Go-	Film dealing with news and current events (For release in Gujarat Circuit only).

[No. F. 28/4/73-FP App. 1811.]

एस० ओ० 889(अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलहाकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके गुजराती भाषा रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है:—

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1962 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	महिति चित्रा संख्या 165	307.85 मीटर	प्रचार निदेशक, गुजरात सरकार, गान्धी नगर।		समाचार और सामयिक घटनाओं से सम्बन्धित फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिए)।

[संख्या फा० 28/4/73-एफ० पी० परिशिष्ट-1811]

S.O. 390(E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its their language versions to be of the description specified against it each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

- (1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).
- (2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & Current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	Maharashtra News No. 252-A	209.00 Metres	Director of Publicity Govt. of Maharashtra Bombay.		(For release in Maharashtra Circuit only) News and current events.
2	Sukhadi	104.00 Metres		Do.	'Educational'
3	Tahanleli Sheti	84.00 Metres		Do.	Do.

1	2	3	4	5	6
4.	Ladki Gure	99.00 Metres	Director of Publicity, Govt. of Maharashtra, Bombay		Educational
5.	Mhanun Regrai Zali Nahi.	105.00 Metres	Do.		Do.

[No. F. 28/4/73-FP App. 1812]

HARJIT SINGH, Under Secy.

एस०ओ० 390 (अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है:—

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम-1953 (1953 का 11वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	महाराष्ट्र समाचार संख्या 252-ए	209.00 मीटर	प्रचार निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र संकेत के लिये)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	मुम्बाई	104.00 मीटर	प्रचार निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, अम्बई		शिक्षा सम्बन्धी फिल्म (केवल महाराष्ट्र सर्किट में रिलीज करने के लिये) ।
3	प्यासी खेती	84.00 मीटर	तथैव		तथैव
4	लाडली गुरे	99.00 मीटर	तथैव		तथैव
5	मनहू रेगरारी जाली नहीं	105.00 मीटर	तथैव		तथैव

[संख्या फा० 28/4/73-एफ० पी० परिशिष्ट-1812]

हरजीत सिंह, अवसर सचिव ।